an>

Title: Regarding alleged irregularities in Bofors deal.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय मीनाक्षी लेखी ने जो बातें कही हैं, उससे संबद्ध होते हुए मैं बोफोर्स के कुछ तथ्यों की जानकारी सदन को देना चाहता हूं।...(व्यवधान) दिनांक 22.10.1999 को इसकी एक चार्जशीट दाखिल होती है।...(व्यवधान) दूसरी चार्जशीट दिनांक 09.10.2000 को बोफोर्स में दाखिल होती है।...(व्यवधान) चार्जशीट दाखिल होने के बाद जब यह केस आगे बढ़ता है तो हाई कोर्ट का एक जजमेंट आ जाता है और हाई कोर्ट का जजमेंट दिनांक 31 मई, 2005 का होता है और वह चार्जशीट को क्वैश कर देता है।...(व्यवधान)

स्पीकर मैडम, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।...(व्यवधान) इस केस का पूरा तथ्य देश को पता होना चाहिए।...(व्यवधान) चार्जशीट जब हाई कोर्ट में क्वैश हो जाती है तो सी.बी.आई. सरकार को कहती है, डी.ओ.पी.टी. को और उस वक्त के ...*, को कहती है कि हमें इस केस को चालू करना चाहिए।...(व्यवधान) उस सरकार ने, ...* डी.ओ.पी.टी. को परमिशन नहीं दिया।...(व्यवधान) लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि यह केस नहीं चलाना है। ...* का केस, ...* का एकाउंट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में जिस दिन जजमेंट दिया, उसी दिन... * ने पूरा-का-पूरा पैसा लंदन के बैंक से निकाल लिया।...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सी.बी.आई. इस केस को वर्ष 2005 से दोबारा खोलना चाहती है।...(व्यवधान) केन्द्र में हमारी सरकार है। ... * का पैसा चला गया।...(व्यवधान) यह क्विड-प्रो-को है। ... * इसमें सामने आ चुका है।...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा देकर इस केस को दोबारा चालू करे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री दुष्यंत सिंह,

श्री आलोक संजर,

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी,

श्री उदय प्रताप सिंह,

श्री ए.टी.नाना पाटील,

श्री गणेश सिंह,

श्री शरद त्रिपाठी,

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

श्री रामचरण बोहरा,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल, और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Ravindra Kumar Pandey – not present.

...(*Interruptions*)